संख्या–968/V–2/101(आ0)16/2018

प्रेषक,

राधा रतूडी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

आवास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 22 जून, 2018

विषय– उत्तराखण्ड परिवहन निगम कार्यशाला ऋषिकेश में कन्ज्यूमर डीजल पम्प स्थापित करने हेतु भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार के पंत्राक–3764/प्रशा0/विविध/ऋषि0/2015–16, दिनांक 19 मार्च, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम ऋषिकेश डिपों को नटराज चौक देहरादून पर वन विभाग द्वारा आवंटित 0.91 है0 भूमि पर कन्ज्यूमर डीजल पम्प की स्थापना भूमि का भू–उपयोग कुम्भ मेला क्षेत्र (पी–3) (पर्यटन मानते हुए) से व्यवसायिक में परिवर्तन किया जाना है। इस प्रकार की भू–उपयोग परिवर्तन के लिए (शुल्क) शासनादेश दिनांक 28.12.2016 में श्रेणी निर्धारित नहीं है। एक अन्य प्रकरण में कुम्भ क्षेत्र पी–3 को पर्यटन की श्रेणी में माना गाया है। अतः उक्त भूमि को पर्यटन की श्रेणी में मानते हुए भू–उपयोग परिवर्तन कुम्भ मेला क्षेत्र, (पी–03) से व्यवसायिक श्रेणी में किये जाने का निर्णय निम्न प्रतिबन्ध के अधीन लिया गया है, जिसमें सर्किल दर का 100 प्रतिशत शुल्क अनुमन्य है :–

(1) स्थल पर निर्माण कार्य हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण की स्वीकृति एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, 2011 (संशोधित 2015) में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन किया जायेगा।

(2) भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का वाद होने पर महायोजना में भू–उपयोग संशोधन की कार्यवाही स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

3– अतः उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा–38क में उल्लिखित प्राविधानों के तहत कार्यवाही करते हुए तत्सम्बन्धी सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूडी)
अपर मुख्य सचिव